न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –17 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कालूराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला हाल नि दाखा तहसील सिणधरी		1. खेमाराम पुत्र रामाराम 2. पनाराम पुत्र रामाराम 3. पूराराम पुत्र रामाराम 4. भोमाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला तहसील सिणधरी 5. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.एकतरफा– विप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक– 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1558 / 557 रकबा 4.4171 हैक्टेयर भूमि आ[illegible] है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 4 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्त[illegible] कालूराम पुत्र रामाराम के स्थान पर उक्त खेतों में हल्का पटवारी की भूलवंश से हड़मान[illegible] पुत्र रामाराम गलत न[illegible] हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर हड़मानराम पुत्र रामाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र रामाराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:10 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। जो विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1558 / 567 रकबा 4.4171 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 4 रिकार्डेड की संयुक्त खातेदारी की दर्ज हुई है, कि विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूराम के स्थान पर हड़मानराम गलत प्रविष्टि हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज हड़मानाराम के स्थान पर कालूराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1558 / 557 रकबा 4.4171 हैक्टेयर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र रामाराम इन्द्राज है, पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति,राशन कार्ड की प्रति तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू की पासबुक प्रति में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र रामाराम अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम हड़मानराम पुत्र रामाराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूराम पुत्र रामाराम है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में हड़मानराम के स्थान पर कालूराम दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1558 / 557 रकबा 4.4171 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि हड़मानराम पुत्र रामाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र रामाराम दर्ज (दुरूस्त) करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी